

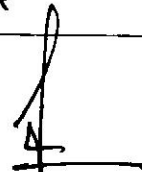
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं०सं०-०७/स्था० (प्रति०)-०८-०५/२०१६, परि० ८१७६ पटना, दिनांक-२५/०९/२६

परिवहन विभाग के संकल्प सं०-५७८७, दिनांक-२४.०७.२०२३ के आलोक में निम्नलिखित प्रवर्तन निरीक्षक को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-५ में अंकित जिला परिवहन कार्यालय में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है-

क्र०	प्रवर्तन निरीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला परिवहन कार्यालय/ चेकपोस्ट	नव पदस्थापन जिला परिवहन कार्यालय
१	२	३	४	५
१	श्री श्याम नन्दन प्रसाद	पटना	किशनगंज	गयाजी
२	श्री शैलेन्द्र कुमार	बेगूसराय	बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज	भागलपुर (अतिरिक्त पूर्णियाँ)
३	श्री अमरेन्द्र कुमार	मधुबनी	वैशाली	पूर्वी चम्पारण (अतिरिक्त सीतामढ़ी)
४	श्री अंजनी कुमार पाठक	भोजपुर	पटना	मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त दरभंगा)
५	श्री कुन्दन कुमार	कटिहार	दालकोला चेकपोस्ट, पूर्णियाँ	बेगूसराय
६	श्री ललित कुमार दुबे	पूर्वी चम्पारण	बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज	पश्चिम चम्पारण
७	श्री सुनील कुमार	पटना	मुजफ्फरपुर	नालन्दा
८	श्री हरिशंकर कुमार	रोहतास	सारण	भोजपुर
९	श्री गोपाल मिश्रा	भोजपुर	समस्तीपुर	कैमूर
१०	श्री अरुण कुमार	पटना	मुजफ्फरपुर	औरंगाबाद (अतिरिक्त रोहतास)
११	श्री सुमन कुमार सिन्हा	नालन्दा	पटना	समस्तीपुर
१२	श्री प्रमोद भारती	नालन्दा	डोभी चेकपोस्ट, गया	पटना
१३	श्री श्रीपंकज	मुंगेर	पटना	वैशाली
१४	श्री अनिल कुमार सिंह	पूर्वी चम्पारण	पटना	नवादा
१५	श्री गरियान मृत्युंजय	बक्सर	बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज	कटिहार (अतिरिक्त अररिया)
१६	श्री धर्मवीर कुमार आजाद	नालन्दा	पटना	गोपालगंज
१७	श्री अनिल कुमार	रोहतास	डोभी चेकपोस्ट, गया	मुंगेर
१८	श्री राकेश कुमार	पटना	समस्तीपुर	मधुबनी



19	श्री सतीश कुमार	मधुबनी	पटना	सिवान (अतिरिक्त सारण)
----	-----------------	--------	------	-----------------------

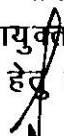
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. उक्त प्रवर्तन निरीक्षक आदेश निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अंदर अपना नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
4. संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी पदस्थापित प्रवर्तन निरीक्षक के प्रतिस्थानी के योगदान की प्रतीक्षा किये बिना नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु अविलंब विरमित कर देंगे।
5. निर्धारित तिथि के अन्दर योगदान देना प्रवर्तन निरीक्षक का निजी दायित्व है।
6. संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा हैंड हेल्ड डिवाइस/वे-ब्रिज का प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी को विधिवत तरीके से सौंपते हुए मुख्यालय को इस संदर्भ में प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
7. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


25/09/26
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 8176 पटना, दिनांक- 25/09/26

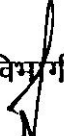
प्रतिलिपि- विभाग के सभी पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/09/26
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 8176 पटना, दिनांक- 25/09/26

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


25/09/26
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।